



विलोम दस रुपये

EL N RUPEES

C-880/51

8

माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्या लियर

प्र.क्र. ————— निगरानी  
2005

R 78-II/2005

श्री मुकुश आगवा - एडब्लूकट  
द्वारा आज दि. 24-1-05 को प्रस्तुत ।

अवर सचिव  
राजस्व मण्डल न० प्र० भालिवर

संजीव कुमार पुत्र हरीश्वर महाजन निवासी

ग्राम विनेगा परगना विजयगंगा श्योपुर छारा

मुख्त्याराम राधे रमन पुत्र हरीश्वर महाजन

जाति महाजन निवासी विजयपुर परगना विजयपुर

जिला श्योपुर । म.प. ।

— — — प्रार्थी

विस्तु

म.प. शासन

— — — आवेदक प्रतिचारी

निगरानी विस्तु आदेश दिनांक 8-10-2004 न्यायालय

श्रीमान सम.के.खान आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना

। म.प. । अन्तर्गत धारा 50 म.प.भू-राजस्व संहिता । 959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संहेम में निम्न लिखित प्रस्तुत हैं -

- 1- यह कि ग्राम विनेगा तेहसील व जिला श्योपुर में भूमि तर्फ  
क्रमांक 31 मिन रक्षा 1.150 हैक्टर सर्कु.75/1 मिन रक्षा 0.627  
हैक्टर तर्फ क्रमांक 77 मिन रक्षा 0.941 हैक्टर, सर्कु.79/2 रक्षा  
0.836 कुल किता 4 कुल रक्षा 3.354 हैक्टर भूमि स्थित है जिसे  
आगे के पदों में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा ।

W3  
मुकुश आगवा  
24-1-05  
विजयपुर

24-1-05  
विजयपुर

**XXXIX(a)BR(H)-11**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निगो 78--दो / 05

जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	वर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
6--6--16	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 57 / 98-99 / अप्रैल में पारित आदेश दिनांक 8-10-2004 से व्यथित होकर म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।</p> <p>2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राजस्व निरीक्षक वृत्त विजयपुर द्वारा गाम विनेगा की भूमि सर्वे नंबर 31 मिन 3 रकबा 1.150 सर्वे नं. 75 / 1 मिन रकबा 0.627, सर्वे नं. 77 मिन 3 रकबा 0.941 सर्वे नंबर 79 / 2 रकबा 0.836 कुल किता 4 रकबा 3.554 का स्थल निरीक्षण कर अपर कलेक्टर, श्योपुर को प्रतिवेदन दिया कि उक्त भूमि खसरे में संजीव कुमार पुत्र हरीशंकर महाजन (शिवहरे) के नाम भूदान भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है, संजीव कुमार सेवा निवृत्त कृषि विस्तार अधिकारी हरीशंकर के पिता है । यह ग्राम विनेगा के ना तो निवासी हैं और न ही कृषि श्रमिक की परिभाषा में आते हैं तथा उक्त भूमि पर काबिज भी नहीं है । प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर ने प्रकरण निगरानी में लेकर दर्ज किया और आवेदक को दिनांक 20.3.95 को भूदान पट्टा निरस्त करने का नोटिस जारी किया । जिसका जबाव आवेदक की ओर से पेश किया गया तदुपरांत विचारण न्यायालय ने आवेदक को जारी पट्टा निरस्त किया । इस आदेश के विरुद्ध</p>	(Signature)

(स्पष्टिक)

R. 78 ०/०५

XXI

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिग्राम आदि के हस्ताक्षर
	<p>आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है। आयुक्त के इस आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।</p> <p>3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक को भूदान यज्ञ अधिनियम के प्रावधानों के तहत भूमि प्राप्त करने की पात्रता नहीं आती है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं वे उचित हैं और उन्हें स्थिर रखा जाना चाहिए।</p> <p>5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण म0प्र0 भूदान यज्ञ अधिनियम, 1968 के तहत भूमि आवंटन से संबंधित है। आयुक्त के आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आवेदक द्वारा ना तो अपर कलेक्टर न्यायालय में और ना ही उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही के दौरान ११ वर्ष ऐसा कोई तथ्य अथवा अभिलेख पेश किया गया है जिससे आवेदक को भूदान यज्ञ अधिनियम के प्रावधानों के तहत भूमि प्राप्त करने की पात्रता होती है। इस न्यायालय के समक्ष भी आवेदक द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई याचिका एवं उसमें पारित आदेश के संबंध में आवेदक द्वारा कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। दर्शित</p>	

## XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 78-दो/05

जिला - श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	वार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो आदेश पारित किये गये हैं उनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।</p> <p>परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है। उभयपक्ष सूचित हो एवं अभिलेख वापिस हों।</p>  <p>सदस्य</p> 	